



षोडश बिहार विधान सभा

द्वादश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-14.02.2019 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

- | | | |
|--|--|-----------------|
| <p>1. श्री निरंजन कुमार मेहता,
स०वि०स०
श्री पन्ना लाल सिंह पटेल,
स०वि०स०
श्री अचमित ऋषिदेव,
स०वि०स०
श्री नौशाद आलम,
स०वि०स०
श्री विनोद प्रसाद यादव,
स०वि०स०
श्री राज किशोर सिंह,
स०वि०स०</p> | <p style="text-align: center;">"राज्य के किसानों द्वारा धान का विक्रय पैक्स के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है। उस व्यवस्था के पीछे सरकार की मंशा है कि किसानों को अपने उपज का समुचित लाभ प्राप्त हो सके लेकिन ऐसा अनुभव हो रहा है कि पैक्स द्वारा समय पर धान का क्रय नहीं किये जाने के कारण बिचौलिया द्वारा इस स्थिति का फायदा उठा लिया जाता है एवं किसान सरकार द्वारा की गयी व्यवस्था से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं।</p> <p style="text-align: center;">उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखकर पैक्स के माध्यम से धान क्रय की वर्तमान व्यवस्था के अतिरिक्त प्रखंड स्तर पर धान क्रय की एक नयी व्यवस्था लागू करने से किसानों को इसका समुचित एवं समय पर लाभ प्राप्त हो सकेगा। साथ ही बिचौलिया तथा दलाल की दखलअन्दाजी पर भी रोक लग सकेगी।</p> | <p>सहकारिता</p> |
|--|--|-----------------|

अतएव प्रखण्ड स्तर पर धान क्रय केंद्र स्थापित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।"

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

2. डा० रामानुज प्रसाद,
स०वि०स०

"प्रदेश में राजपत्रित पदों पर नियुक्तियाँ हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने के पूर्व प्रावधानों को संशोधित करते हुए तकनीकी पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग का गठन किया गया है, जिसमें चिकित्सकों, पशु चिकित्सकों, अभियंताओं जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन न कराकर प्राप्तांक के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। प्रायः प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं का प्राप्तांक प्रदेश या दूसरे राज्यों के प्राइवेट महाविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं के प्राप्तांक से अपेक्षा कम रहते हैं, जबकि सरकारी महाविद्यालयों से उत्तीर्णता प्राप्त छात्र-छात्राएँ अपेक्षाकृत ज्यादा मेधावी रहते हुए भी नियुक्ति के अवसर से वंचित रह जाते हैं।

सामान्य
प्रशासन

अतएव जनहित में बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा तकनीकी पदों पर की जा रही नियुक्तियाँ, प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कराकर करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।"

बटेश्वर नाथ पाण्डेय

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-03/19- 207 / वि०स०, पटना, दिनांक-13 फरवरी, 2019 ई०।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकयुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / सहकारिता विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/2/19
(पांडव कुमार सिंह)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-03/19- 207 / वि०स०, पटना, दिनांक-13 फरवरी, 2019 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

13/2/19
(पांडव कुमार सिंह)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।